न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः गौरव अग्रवाल आई॰ए॰एस

प्रकरण संख्या **42/2021** अपील (राजस्व)

GCMS No. 2021/45

नरपत सिंह पिता भुर सिंह राजपूत निवासीः वाजमिया, तहसील–वल्लभनगर, उदयपुर

—— **अपीलान्ट**

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

—— **रेस्पोडेन्ट**

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट
विरूद्ध निर्णय तहसीलदार वल्लभनगर प्रकरण संख्या 134/2020
दिनांक 24.11.2020

उपस्थित : श्री मनीष शर्मा, अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री कल्पित जैन, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः– 11/05/2026

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश तहसीलदार वल्लभनगर के प्रकरण संख्या 134/2020 आदेश दिनांक 24.11.2020 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ तहसीलदार के न्यायालय में एक प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 (3) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत पटवार हल्का गोटीपा की रिपोर्ट के आधार पर संस्थित किया गया जिसमें यह दर्शित किया गया कि मौजा वाजमिया की खसरा संख्या 319 व 320/2 रकबा 0.10 बिस्वा भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण कर लिया है जिसके सम्बन्ध में प्रकरण संस्थित कर अपीलाण्ट को सूचना पत्र जारी किये गये इस सम्बन्ध में अपीलाण्ट को सूचना–पत्र दिनांक 12.11.2020 को जारी किया गया जिस पर अपीलाण्ट जो कि एक कम पढ़ा लिखा कृषक है अधीनस्थ तहसीलदार जी के न्यायालय में दिनांक 24.11.2020 को उपस्थित हुआ जहां पर अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ तहसीलदार के समक्ष उक्त प्रकरण में जवाब हेतु अधिवक्ता नियुक्त कर जवाब प्रस्तुत किये जाने हेतु समय मांगा गया परन्तु अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा बिना अपीलाण्ट को जवाब हेतु समय प्रदान किये बिना सूने दिनांक 24.11.2020 को ही बेदखली का आदेश पारित कर

जिला कलक्टर
उदयपुर

दिया जो प्रथम दृष्टया न्याय एवं विधि के विधि प्रदत सिद्धान्तो के विपरित होने से प्रथम दृष्टया निरस्त योग्य है। अपीलाण्ट जो कि एक साधारण कृषक है तथा उसे उक्त तथ्य की कोई जानकारी नही थी, अपीलाण्ट दिनांक 24.11.2020 को नोटिस मिलने पर तहसीलदार के समक्ष उपस्थित हुआ जिस पर अपीलाण्ट के प्रोसेडिंग पर हस्ताक्षर करवाये गये व अपीलाण्ट अपने घर आ गया अपीलाण्ट को न तो सूना गया न अपीलाण्ट का कोई जवाब उक्त प्रकरण में लिया गया सीधे ही तहसीलदार ने बेदखली का आदेश जारी कर दिया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक छपे छपाये परफोरमे पर साईक्लो स्टाईल निर्णय पारित कर अपीलाण्ट को बेदखल कर दिया। विधि का सिद्धान्त है कि किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय पारित किये जाने से पूर्व उसे सुनवाई व जवाब हेतु युक्ति युक्त समय प्रदान कराया जाना आवश्यक है परन्तु उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कुछ देखे बिना कुछ सुने अपीलाण्ट को बेदखल करने का आदेश पारित कर दिया। यदि उक्त प्रकरण में अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाता तो यह स्पष्ट था कि उक्त भूमि पर अपीलाण्ट ने किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया उक्त आराजीयात जिन पर अतिक्रमण बताया जा रहा है उक्त सभी आराजीयात पर गांव की पुरानी आबादी बसी हुई है जिस पर अपीलाण्ट व अन्य सभी लोगों के मकान पक्के व केलुपोश बने हुए है जिनमें अपीलाण्ट व अन्य आबादी के व्यक्ति परिवार सहित निवास करते है। उक्त मकानों पर अपीलाण्ट व इन लोगों के विद्युत कनेक्शन है तथा इस सम्बन्ध में आबादी विस्तार हेतु उक्त मकानात के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत गोटीपा द्वारा भी दिनांक 27.10.2020 को साधारण सभा में प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। यदि विद्यवान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को जवाब हेतु समय प्रदान कराया जाता तो उक्त सभी तथ्य अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत किये जाते परन्तु अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा अपीलाण्ट को जवाब हेतु समय नही दिये जाने के कारण उक्त तथ्य अपीलाण्ट प्रस्तुत ही नहीं कर सका। यदि उपरोक्त सभी तथ्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा देखे जाते तो इस प्रकार का साईक्लो स्टाईल जजमेण्ट कदापि पारित नहीं किया जा सकता है। जिससे उक्त निर्णय प्रथम दृष्टया निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर जो प्रकरण संस्थित की गई है वह अस्पष्ट एवं अधुरा होने से निरस्त योग्य है। यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की वास्तविक स्थिति की जांच करवाई जाती तो यह स्पष्ट हो जाता कि उक्त आराजीयात पर गांव की पुरानी आबादी लगभग 50 वर्ष से भी पूर्व बसी हुई है तथा उक्त आराजीयात पर उक्त लोग विगत 50 वर्षो से भी अधिक समय से अपने बाप–दादाओं के समय से निवास करते चले आ रहे है। अपीलाण्ट एक सीधा साधा ग्रामीण व्यक्ति है जो अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारियों के कहेनुसार प्रोसेडिंग पर अपने हस्ताक्षर कर दिये। अपीलाण्ट को उक्त निर्णय की कोई जानकारी कभी नही थी व इसके कुछ माह पश्चात् लॉकडाउन हो जाने से भी अपीलाण्ट जो कि

जिला कलक्टर
उदयपुर

ग्रामीण कृषक है इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की चाराजोही नहीं कर सके, परन्तु हाल ही में अधीनस्थ तहसीलदार के कर्मचारी मौके पर आये व अपीलाण्ट को मौके से बेदखल करने का प्रयास किया व उक्त निर्णय बाबत् कथन किया जिस पर अपीलाण्ट घबरा गया व तुरन्त अन्य व्यक्तियों के साथ आकर तहसील में चाराजोही की व निर्णय की नकल हेतु दिनांक 05.07.2021 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया व दिनांक 05.07.2021 को ही नकल प्राप्त की। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार वल्लभनगर, द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.11.2020 को निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। पैरोकार सरकार द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा धारा 91(3) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अंतर्गत पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण संस्थित कर अपीलार्थी को दिनांक 12.11.2020 को सूचना पत्र जारी किया गया। अपीलार्थी दिनांक 24.11.2020 को न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने हेतु अधिवक्ता नियुक्त करने के लिए समय चाहा गया, किन्तु बिना अवसर प्रदान किये उसी दिन बेदखली आदेश पारित कर दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। अपीलार्थी एक साधारण कृषक है तथा उसे कार्यवाही की जानकारी नहीं थी। संबंधित भूमि पर लगभग 50 वर्षों से पुरानी आबादी बसी हुई है, जहां अपीलार्थी एवं अन्य ग्रामीण निवासरत हैं तथा विद्युत कनेक्शन आदि भी स्थापित हैं। ग्राम पंचायत गोटीपा द्वारा भी दिनांक 27.10.2020 को साधारण सभा में आबादी विस्तार संबंधी प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। यदि सुनवाई का उचित अवसर दिया जाता तो ये तथ्य प्रस्तुत किये जा सकते थे। अतः तहसीलदार वल्लभनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.11.2020 निरस्त किये जाने योग्य है।

पेरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया है कि राजस्व ग्राम वाजमिया की आराजी नम्बर 319 व 320/2 रकबा 0–10 बीघा चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को विधिवत राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट की धारा 91 का नोटिस दिया जाकर सुनवाई की जाकर बेदखली का आदेश दिया गया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया बेदखली का आदेश उचित हैं। अतः अपील अपीलार्थी इसी स्तर पर खारीज फरमावें।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अनुसार राजस्व ग्राम वाजमिया की आराजी संख्या 319 व 320/2 रकबा 0–10 बीघा किस्म चारागाह भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण किये जाने से पटवारी रिपोर्ट के आधार पर

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर

जिला कलक्टर
उदयपुर

अधीनस्थ तहसीलदार वल्लभनगर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर विधिवत नोटिस जारी किये गये, जिनकी अनुपालना में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 02.11.2020 को न्यायालय में उपस्थित हुआ। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष रखने हेतु समय चाहा गया हो ऐसा कोई अंकन पत्रावली पर नही है। साथ ही अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में भी ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जो यह सिद्ध करे कि अपीलार्थी द्वारा नियमन हेतु कोई चाराजोही की हो अथवा उक्त भूमि पर उसका कब्जा/स्वामित्व रहा हो। अपीलार्थी अपने कथनों को दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सिद्ध करने में असफल रहा है। अपीलार्थी द्वारा मौजा वाजमिया की आराजी संख्या 319 व 320/2 रकबा 0-10 बीघा किस्म चारागाह (राजकीय भूमि) भूमि पर पर अतिक्रमण किया जाना सिद्ध होता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत होने से अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

निर्णय की प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली संख्या 134/2020 तहसीलदार वल्लभनगर को प्रेषित की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलक्टर
उदयपुर